59

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक– अपील 2294–I–15 सन्–2015

स्वामी प्रसाद चौबे, आयु–67 वर्ष तनय स्व. श्री लाल्ले चौबे,
निवासी ग्राम–कदारी, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.) .....अपीलार्थी/आवेदक

बनाम

1. नारायन दास, आयु लगभग–80 वर्ष,
2. मिजाजीलाल, आयु लगभग–72 वर्ष,
   पुत्रगण–स्व. श्री मुलुवा कुर्मी, निवासी ग्राम–बृजपुरा,
3. सेवाराम, आयु लगभग–64 वर्ष,
4. हरिश्चन्द्र, आयु लगभग–59 वर्ष,
5. हरिदयाल, आयु लगभग–62 वर्ष
   पुत्रगण–स्व. श्री रामचरन कुर्मी, निवासी ग्राम–बुजपुरा,
   एवं समस्त तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.)
6. राज्य शासन–मध्यप्रदेश .....गैर अपीलार्थीगण/अनावेदकगण

क्रमांक 612
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 20/7/15 को प्राप्त
राजस्व मण्डल ग्वालियर

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा–44 म.प्र.भू.रा.सं.
अपील विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय, सागर संभाग–सागर म.प्र. के राजस्व अपील प्र.क्र.–380/अ–19/2014–15 में पारित आदेश दिनांक–01.05.2015 से व्यथित होकर।

सेवा में अपीलार्थी सादर निम्नलिखित विनय प्रस्तुत करता है :–

–: अपील के तथ्य :–

1. यह कि अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि खसरा नंबर–280, रकबा–1.562 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर–281, रकबा–0.862 आरे, किता–02, कुल एकत्र रकबा–2.424 हेक्टेयर, सिथत ग्राम–कदारी, तहसील व जिला–छतरपुर (म.प्र.) अपीलार्थी के स्वर्गीय पिता श्री लाल्ले तनय स्व. श्री सूरे चौबे एवं अपीलार्थी के स्वर्गीय चाचा श्री रामप्यारे तनय स्व. श्री राजाराम चौबे एक मात्र भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी थे, जो अपने जीवन में मरते समय पर उक्त भूमियों पर कार्बिज होकर कृषि करके अपना व अपने परिवारों का उदर–पोषण करते रहे, जिनका राजस्व रिकॉर्ड में संवत्–2009 से आगे तक भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में नाम इन्द्राज रहा तथा अपीलार्थी उनके जीवनकाल में ही उक्त भूमियों पर कृषि करता हुआ आज वर्तमान में भी कार्बिज होकर कृषि करके अपना एवं अपने परिवार का उदर–पोषण करता आ रहा है।

2. यह कि उक्त भूमियां स्पष्ट रूप से राजस्व रिकॉर्ड को देखते हुये अपीलार्थी की पैतृक भूमियां हैं, जिस पर कभी भी गैर अपीलार्थीगण अथवा उनके पूर्वजों का कभी न तो कब्जा रहा और न ही कृषि की, लेकिन उन्होंने अपीलार्थी के पूर्वजों की गरीबी एवं अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि पर पहले बिना किसी आधार के राजस्व कर्मचारियों से कब्जा दर्ज कराया व झूठे आधारों पर नीचे की लोवर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को नाजायज लाभ देकर अपीलार्थी के स्वर्गीय पिता एवं स्वर्गीय चाचा को बिना पक्षकार बनाये उन्हें कोई सूचना दिये गैर अपीलार्थीगण के स्वर्गीय पिता (बाबा) मुलुवा तनय स्व. श्री हल्कू उर्फ बदलू कुर्मी ने न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी–छतरपुर म.प्र. के प्र.क्र.–74/अ–19/1971–72 में व्यवस्थापन का आदेश दिनांक–20.12.1971 को पारित करा लिया, जिसकी जानकारी कभी किसी को नहीं रही व उक्त आदेश अपीलार्थी के पूर्वजों की पीठ पीछे चोरी–चोरी करा लिया, जिससे ही व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अधीनस्थ न्यायालय–छतरपुर के आदेश दिनांक–20.12.1971 के विरूद्ध श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर म.प्र. के न्यायालय में प्रथम अपील प्र.क्र.–380/अ–19/2014–15 पेश की थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय–सागर संभाग–सागर म.प्र. द्वारा अपीलार्थी की उक्त अपील को समयावधि बाह्य मान्य करते हुये दिनांक–01.05.2015 को निरस्त कर दी। उक्त आदेश दिनांक–01.05.2015 से दुखी होकर अपीलार्थी सादर निम्नलिखित आधार पर यह अपील प्रस्तुत करता है, जो योग्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तथा माननीय जी द्वारा सुने जाने योग्य है।

–: अपील के आधार :–

3. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस बात पर कोई भी विचार नहीं किया कि अनुविभागीय अधिकारी–छतरपुर के द्वारा पूर्व में पारित आदेश में अपीलार्थी के पूर्वजों को न तो आहूत किया और न ही समक्ष में सुनवाई का अवसर दिया, इसके उपरांत भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सरसरी तौर पर धारा–05 म्याद में अपील निरस्त करने में त्रुटि की है।

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 2294–एक / 15 जिला– छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
2.03.16	आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई । कोई उपस्थित नहीं । अतः अनुपस्थित होने के कारण तथा प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	